

६ 10751

361



र. प्र. श. उत्तर प्रदेश

740333

1

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 27,85,000/- रुपये।

स्टाम्प अंकन 1,95,000/- रुपये।

विवरण विक्रय सम्पत्ति:- कृषि भूमिधरी के खाता नं० 183 के खेत नं० 06ख रकबा 0.0510 हैक्टेयर व खेत नं० 20 रकबा 0.7330 हैक्टेयर व खेत नं० 13 रकबा 0.8350 हैक्टेयर इस प्रकार कुल तीन खेत रकबाई 1.6190 हैक्टेयर लगानी रुपये 47=35 पैसे सालाना का 1/8 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 0.2024 हैक्टेयर भूमि को बैनामा हाज्ज में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

क. १९/११



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

14 SEP 2009

स्टाम्प नं० 1000
स्टाम्प नं० 1000

मैं शर्मिल किया गया
उप रोक दिया

नैसर्गिक सैलैब्रिटी रिप्लेसमेंट प्रायोजन सहित
एच. गी. ए. ए. ए.

बनामा 2785000/- = 5000/-
उत्तर 20/- योग 5020/- शब्द 4800
श्री मति कमलेश
पुत्र श्री सखी श्यामेश
निवासी समरावली जोडाकातवादी
ने कार्यालय सय रजिस्ट्रार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर, से आज दिनांक 14/9/09
समय मध्य 2... ब... प्रस्तुत किया।

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार दादरी

1000-1000-2010-1000

कमलेश

सं. लखनऊ का संपादन एवं स्वयं लिख
रजिस्ट्रार नं० 2785000/- प्लेखीयुसीर

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

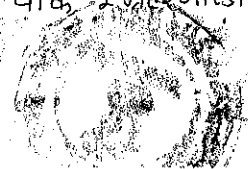
निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

निलम्बित

उक्त व सरासिका आवालिग मलुखुव विकाश
पुत्रगण खुद राठग्राम यमरावली रामगण
पर तह दादरी ने बेलकमोल से को मीसरी
से ले स्टारिल प्रावलि 1202 अन्तरिम मयन
22 कस्तुरबा गांधी मार्ग द्वारा गीताराम
श्यामी 510 दाताराम श्यामी 110 मपर बेसमेन्ट
असल प्लाजा मालिग पार्क मरीटरनीस्टा
ने रचीकार किया।



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

SEP 2009

र. प्र. उत्तर प्रदेश

प्र. कोषाधिकारी

On 10/09/09

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

at 11:00 AM

2

740334

विक्रीता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जन्मजात से नहीं है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है।
संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 85,00,000/-
रुपये प्रति हेक्टेयर का है। किन्तु कम्पनी द्वारा सर्किल रेट से
अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

क मल्ल १



1950-1951

कमल २१

सं. १११०९

मातृ

साक्षात् मूल प्रमाणों का हवाला देकर
अंगुठा नियमों के अनुसार लिये गये हैं

समिति

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

557 2009
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740335

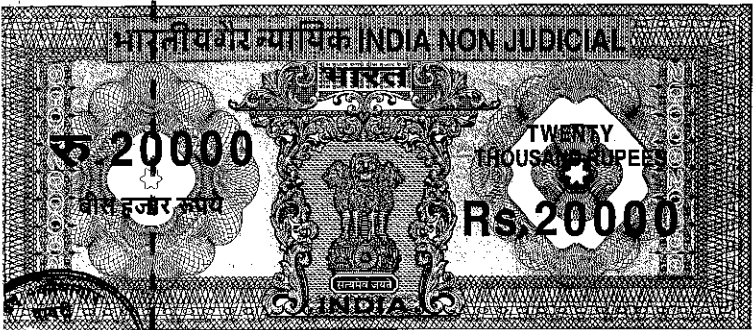
3

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

कमलेश्वर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश 2000 UTAR PRADESH

740336

4

हम कि श्रीमती कमलेश पत्नी स्व० श्री रावेह्याम खुद व वली
अनुज व विकास नाबालिग आयु क्रमशः 17 व 15 वर्ष माता व
वली कुदरती सरपरस्त नाबालिगान पुत्रगण खुद जाति गुर्जर
निवासी वाम चमरावली बीड़ासी, परगना व तहसील दादरी,
जनपद- गौतमबुद्धनगर। (विक्रेतागण, फरीक अय्यल)।

एवम्

मैसर्स सेलेस्टाकल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, 1202 अन्तरिक्ष
मवन, 22 कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 द्वारा
प्राधिकृत हस्ताक्षरी गीता राम त्यागी पुत्र स्व० श्री दाताराम
त्यागी निवासी अपर बेसमेंट, अंसल प्लाजा, मॉलिज पार्क
प्रथम, इन्स्टीट्यूट एरिया, गेट नौएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर,
पिन-201308 (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दायम)।

कमलेश



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

14 SEP 2009

स्टाम्प नं०
स्टाम्प नं० में शामिल किया गया
उप रिकॉर्डिया

विषय : उप कोषागार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के
आवक और निकाल के संबंध में।
प्रति : उप कोषागार के अधिकारी, दादरी।
विषय : उप कोषागार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के
आवक और निकाल के संबंध में।
प्रति : उप कोषागार के अधिकारी, दादरी।

विषय : उप कोषागार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के
आवक और निकाल के संबंध में।
प्रति : उप कोषागार के अधिकारी, दादरी।
विषय : उप कोषागार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के
आवक और निकाल के संबंध में।
प्रति : उप कोषागार के अधिकारी, दादरी।



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹ 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

समस्त भारत
INDIA

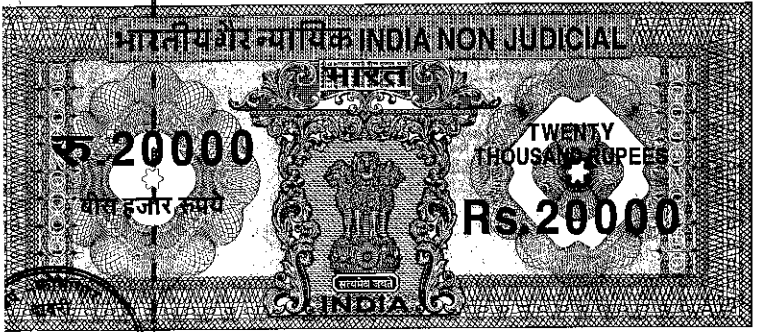
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740337

5

विदित हो कि विक्रित सम्पत्ति जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं

कमलेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740338

6

आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजार कीमत के बराबर अंकन रुपये 27,85,000/- (सत्ताईस लाख पच्चासी हजार रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन रुपये 13,92,500/- होते हैं में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात् भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे

कमलेश



14 SEP 2009

स्टाम्प नं० 6
स्टाम्प नं० 1 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

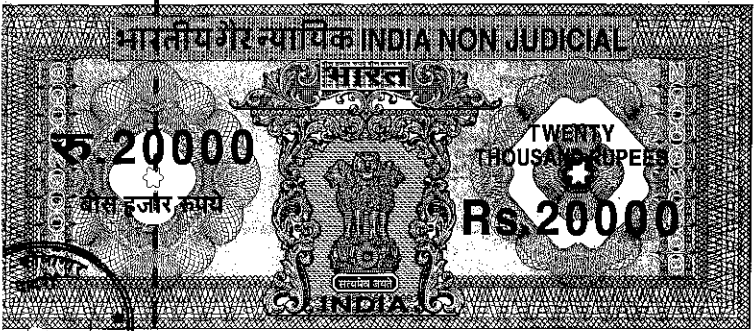
740339

7

अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे

कमलेश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740340

8

प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्सान कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अब्बल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजार कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत

कमलेश



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

14 SEP 2009

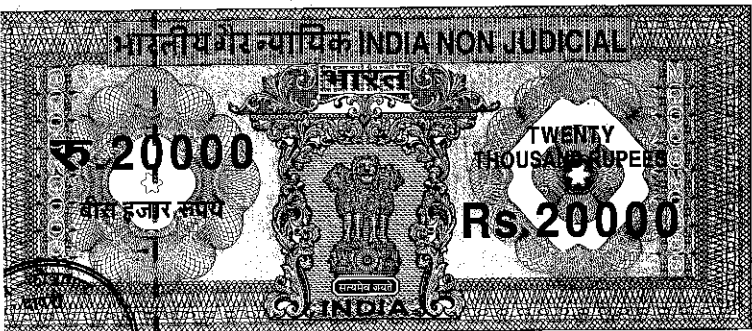
स्टाम्प नं० ४२७००

स्टाम्प नं० १ में शामिल किया गया
उप शेकडिया

३

३. नमूने वाले दस्तावेजों में से एक नमूने वाले दस्तावेज में
नमूने वाले दस्तावेजों में से एक नमूने वाले दस्तावेज में
नमूने वाले दस्तावेजों में से एक नमूने वाले दस्तावेज में
नमूने वाले दस्तावेजों में से एक नमूने वाले दस्तावेज में
नमूने वाले दस्तावेजों में से एक नमूने वाले दस्तावेज में
नमूने वाले दस्तावेजों में से एक नमूने वाले दस्तावेज में
नमूने वाले दस्तावेजों में से एक नमूने वाले दस्तावेज में
नमूने वाले दस्तावेजों में से एक नमूने वाले दस्तावेज में
नमूने वाले दस्तावेजों में से एक नमूने वाले दस्तावेज में
नमूने वाले दस्तावेजों में से एक नमूने वाले दस्तावेज में





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740341

9

फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व
अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा।
दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा
दूंगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी
अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज
नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी
कृषि भूमि है।

कमलेश

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
14 SEP 2009
स्टाम्प नं. 2
स्टाम्प नं. 201
में शामिल किया गया
उप सेक्रेटरी

महोदय, मुंबई के लिये एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

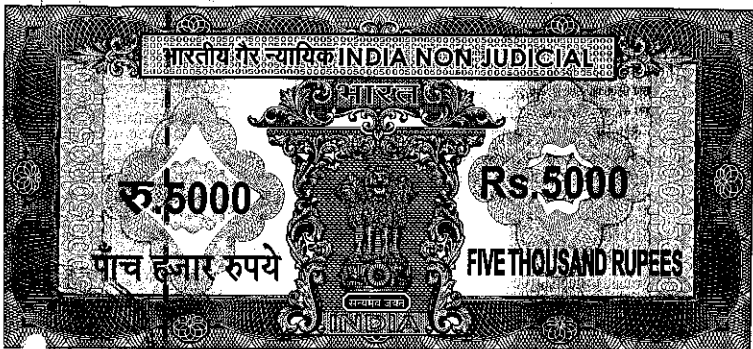
K 035371

10

विवरण धन अदायगी :- द्वारा एकाउन्ट पेयी एक किता
चैक नं० 779546 दिनांक 14-09-2009 ई० अंकन
27,30,000/- रुपये पंजाब नेशनल बैंक, बाराखम्बा रोड, नई
दिल्ली के द्वारा तथा शेष अंकन 55,000/- रुपये पेशगी इस
प्रकार कुल अंकन 27,85,000/- रुपये फरीक अव्वल
(विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई
पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

कमलेश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 035372

11

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक
दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज
पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

कमलेश



स्टाम्प सं० 10.....स्टाम्प विक्रय की तिथि..... 14/9/08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..... विक्री

स्टाम्प क्रय का नाम व पता..... अशोक कुमार

स्टाम्प की धनराशि..... ₹ 15000/-

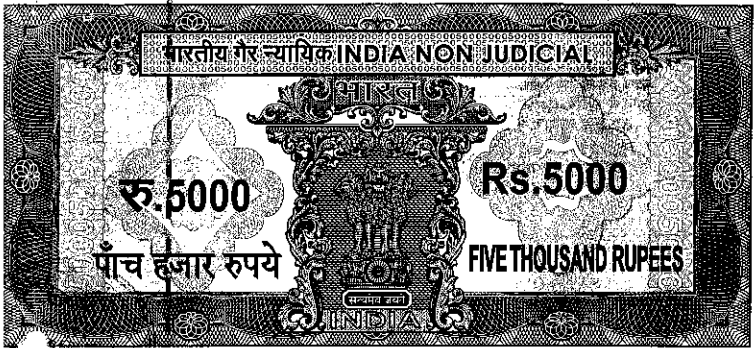
अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

लार्ड रोड नं० 8, तारु की अवधि 31-3-2010

तहसील फर्रुखाबाद, बदायूँ

विक्री सीमा 15000/-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 035373

12

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति॥

कमलेश



गवाह - 1



मन्ना सिंह की निवासी
रहे दावे

गवाह - 2



विजयपाल. 87 श्री परमान
मौला नाउडा

तारीख 14-09-2009 ई० मसीदाकर्ता राधेश्याम अग्रवाल, बैनामा
लेखक, दादरी (गीतमबुद्धनगर) लाइसेन्स नं०-1 राधेश्याम अग्रवाल

बैनामा लेखक ला.न.-1
तहसील-दादरी (गीतमबुद्धनगर)

11
14/9/09
स्टाम्प सं०.....स्टाम्प विक्रय की तिथि.....
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....
स्टाम्प क्रय का नाम व पता.....
स्टाम्प की वनगति.....

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

हार्सिंग न० 9, हा० की अवेन्यू J-1-3-2010

सहस्रील कम्पाउन्ड, दादरी

बिजली सीमा 15000/-

14/9/09
राज दिनांक.....को फोटोस्टेड
प्रति पुस्तक संख्या.....खण्ड संख्या 228
के पृष्ठ 269 पर क्रम संख्या 10751
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी

